राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4083/2024 रीना कुमारी	1.राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3.जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4.प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खपरेला, सैपऊ, जिला धौलपुर।	16.12.2024	श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक अपीलार्थी
2.	4086/2024 पूनम कोली	1.राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3.जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर। 4.प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेमपुरा, बाड़मेर।		

आदेश की दिनांक : 20.12.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4083/2024 रीना कुमारी बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खपरेला, ब्लॉक सैपऊ जिला धौलपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेरी, ब्लॉक सैपऊ जिला धौलपुर में किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 53 पर अंकित है और उन्होंने काउंसलिंग किए बिना और साथ ही पास के रिक्त पद को दिखाए बिना अवैध रूप से पोस्टिंग बदल दी। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान काउंसलिंग आयोजित किए बिना और साथ ही आस–पास के रिक्त पद को दर्शाए बिना ही बदल दिया। अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी

है, इसके बावजूद रिक्त पद होने के बावजूद उसे बिना विवेक का प्रयोग किए तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना पद पर नियुक्त कर दिया गया। मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–3) को एक परिपत्र जारी किया था जिसके द्वारा उन्होंने 15.01.2023 से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था और परिपत्र वर्तमान में अस्तित्व में है। परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी को बिना किसी नियम के पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति लिए बिना ही आदेश जारी कर दिया, क्योंकि आदेश में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री को कोई संस्तुति दी गई है। अपीलार्थी को नियमित पद से नियमित वेतन मिल रहा है क्योंकि वह स्वीकृत पद पर काम कर रही है और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खपरेला, ब्लॉक सैपऊ जिला धौलपुर से कार्यमुक्त न करें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट

किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 4083/2024 रीना कुमारी बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य